राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

चैत्र 17, बुधवार, शाके 1938–अप्रेल 6, 2016
Chaitra 17, Wednesday, Saka 1938–April 6, 2016

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
संशोधित अधिसूचना
जयपुर, अप्रेल 4, 2016

संख्या एफ. 5(31)पंरादि/विधि/सशक्तिकरण/सं.आयुक्त/2011/178 :– विभागीय समसंख्यक अधिसूचना कमांक 1302 दिनांक 02–08–2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम 154(4)(ग) के अन्तर्गत 5.00 लाख से 10.00 लाख तक की आबादी भूमि के विकय/निलामी की पुष्टि किये जाने हेतु संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया था, परन्तु सहवन से नियम 154(3)(ग) के स्थान पर "नियम 154(4)(ग)" अंकित हो गया है।

अतः उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर, प्रयुक्त अभिव्यक्ति राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के "नियम 154(4)(ग)" के स्थान पर "नियम 154(3)(ग)" पढ़ा जावे।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर अपाठ्य
संयुक्त शासन सचिव (विधि)।

5

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।